INTERNATIONAL RESEARCH JOURNAL OF HUMANITIES AND INTERDISCIPLINARY STUDIES
(Peer-reviewed, Refereed, Indexed & Open Access Journal)
DOI : 03.2021-11278686 ISSN : 2582-8568 IMPACT FACTOR : 5.828 (SJIF 2022)

भारत के कृषि विकास में सहकारिता का महत्व
(Importance of Cooperatives in India's Agricultural Development)

डॉ. राजकुमार

सहायक अध्यापक

बेसिक शिक्षा परिषद,

उत्तर प्रदेश, भारत

DOI No. 03.2021-11278686 **DOI Link ::** https://doi-ds.org/doilink/08.2022-79427341/IRJHIS2208007

प्रस्तावना :

सहकारिता भारत के कृषि संगठन में व्याप्त ढ़ेर सारी बुराइयों को समाप्त कर कृषि के विकास में निम्नवत सहायता प्रदान कर सकती है:

भारत में अधिकांश जोतें छोटी तथा बिखरी हुई होने के कारण अनार्थिक हैं। इससे कृषि क्षेत्र में उत्पादन एवं उत्पादकता पर विपरीत पभाव पड़ता है। इन छोटे–छोटे भूखण्डों को सहकारिता के आधार पर मिलाकर एक बड़ा भूखण्ड बनाकर अनार्थिक जोतों को आर्थिक जोतों में बदलकर उत्पादन को बढ़ाया जा सकता है।

भारतीय कृषकों की एक गम्भीर समस्या उनकी गरीबी एवं ऋणग्रस्तता है तथा वे सदा ही साहूकारों एवं महाजनों के चुँगल में फँसे रहते हैं जो उनसे ऊँची ब्याज दर वसूलने के साथ–साथ उनसे बेगार आदि लेकर उनका शोषण करते रहते हैं। यदि सहकारिता के आधार पर ऋण समितियों का विकास किया जाय तो कृषक उनके शोषण से बच सकता हैं तथा उनका जीवन शान्तिपूर्वक व्यतीत होते हुए रहन–सहन के स्तर में सुधार कर सकता है।

भारतीय कृषकों द्वारा अपनाई जाने वाली कृषि तकनीकी पुरानी है। यहाँ कृषक अभी भी हल, बैल, गोबर की खाद, अपने खेतों से उत्पन्न गैर–उन्नतशील बीज आदि का प्रयोग करते हैं। सहकारिता कृषि तकनीकी में सुधार का मार्ग प्रसस्त करती है। सहकारिता के आधार पर बड़े–बड़े भूखण्ड बनाकर उस पर आधुनिक कृषि यंन्त्रों एवं उपकरणों की सहायता से कृषि की जा सकती है तथा उत्पादन बढ़ाकर कृषक की आय में वृद्धि की जा सकती है।

भारत में कृषि विपणन की व्यवस्था उचित नहीं है। इससे कृषक को अपने उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है। कृषक सहकारी समितियों का गठन कर अपने उत्पादन के विपणन की समुचित व्यवस्था कर सकते हैं तथा अनियमित मण्डियों एवं बाजारों में व्याप्त कुरीतियों, भण्डारग्रहों के अभाव, विपणन सूचनाओं के

अभाव आदि से मुक्ति पाकर सामूहिक बिक्री का लाभ उठा सकते हैं।

कृषकों द्वारा मिलकर उन ग्रामीण उद्योगों की स्थापना की जा सकती है जिनमें कृषि उत्पाद, कच्चे माल के रूप में प्रयोग होते हैं, जैसे–चावल मिल, तेल मिल तथा चीनी मिल के लिए क्रेशर मशीन आदि। इससे ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार पड़ी हुई श्रम शक्ति को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकेंगे।

सहकारी पशु अभिजनन समितियां स्थापित कर पशुधन में सुधार किया जा सकता है। उनकी नस्ल सुधारी जा सकती है। उनके चारे की व्यवस्था की जा सकती है। अच्छी नस्ल के पशु कृषि व विपणन दोनों ही क्षेत्रों में अपना अच्छा योगदान दे सकते हैं।

कृषि एवं कृषकों को लाभान्वित करने वाली अन्य प्रकार की सेवा सहकारी समितियों की स्थापना की जा सकती है, जैसे – सघन सेवा, सहकारी समिति, दुग्ध उत्पादन एवं डेरी समिति, सहकारी सिंचाई समिति, सहकारी भवन समिति, उपभोक्ता सहकारी समिति आदि।

इस तरह कहा जा सकता है कि सहकारिता भारतीय कृषि में महत्वपूर्ण योगदान देकर कृषकों को साहूकारों के चुँगल से मुक्त करा सकती है। उनकी जोतों को आर्थिक बना सकती हैं कृषि तकनीक में सुधार कर सकती है। विपणन में सहायता कर सकती है और इस प्रकार देश के कृषि विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती है।

सहकारी समितियों का वर्गीकरण :

भारतीय रिजर्व बैंक ने सहकारी समितियों का निम्नवत् वर्गीकरण किया है:–

अ– सहकारी ऋण समितियां– इन समितियों को पुनः दो भागों में बाँटा गया है–

1. कृषि ऋण सहकारी समितियां
2. गैर–कृषि ऋण समितियां

ब– सहकारी गैर–ऋण समितियां– इन समितियों को भी निम्न प्रकार दो भागों में वर्गीकृत किया गया है:

1. कृषि गैर ऋण सहकारी समितियां
2. गैर–कृषि गैर–ऋण सहकारी समितियां

इस तरह सहकारी समितियां चार प्रकार की होती हैं, जिनका संक्षिप्त विवरण निम्न है:

1 कृषि ऋण सहकारी समितियां :–

ये सहकारी समितियां कृषकों को कम ब्याज दर पर कृषि व्यवसाय हेतु आवश्यक ऋण उपलब्ध कराती हैं। सहकारी समितियां अल्पकालीन एवं मध्यकालीन ऋण उपलब्ध कराती हैं। जबकि दीर्घकालीन ऋण भूमि विकास बैंक उपलब्ध कराते हैं। इनका ढाँचा साधारणतया तीन स्तरीय होता है। गाँव स्तर पर प्राथमिक सहकारी ऋण समितियां, जिला स्तर पर केन्द्रीय सहकारी बैंक तथा राज्य स्तर पर राज्य सहकारी बैंक या शीर्ष बैंक (Apex Bank) होते हैं। इसी प्रकार दीर्घकालीन ऋण के लिए प्राथमिक भूमि विकास बैंक, जिला भूमि विकास बैंक एवं राज्य भूमि विकास बैंक होते हैं। कुछ राज्यों में भूमि विकास बैंकों का ढाँचा दो स्तरीय होता है।

2. गैर–कृषि ऋण सहकारी समितियां :–

कृषकों को ऋण के अतिरिक्त आवश्यक साधनों–बीज, उर्वरक, कीटनाशक दवाईयां, कृषि आदि उपलब्ध कराने के उद्देश्य से बनाई गई सहकारी उन्नत कृषि समितियां, कृषकों को फॉर्म से प्राप्त उत्पादों के विपणन

के लिए बनाई सहकारी कृषि विपणन समितियां, कृषि–उत्पादों के परिष्करण के लिए बनाई गईं कृषि–उत्पादन परिष्करण सहकारी समितियां, पशु सहकारी समितियां, दुग्ध आपूर्ति समितियां, मछली पालन सहकारी समितियां इसी श्रेणी में आती हैं।

3. गैर–कृषि–ऋण सहकारी समितियां :–

ये समितियां कृषि के अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों के व्यक्तियों को ऋण उपलब्ध कराती हैं, जैसे– शहरी बैंक, बचत एवं ऋण समितियां, शहरी ऋण समितियां आदि।

4. गैर–कृषि गैर–ऋण सहकारी समितियां :–

ये समितियां मुख्यतः उपभोक्ताओं को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कराती हैं। उपभोक्ता भण्डार, भवन–निर्माण समितियां, हथकरघा, बुनकर समितियां आदि इसी श्रेणी में रखी जाती हैं।

बहुउद्देश्यीय सहकारी समितियां :–

ये समितियां अपने सदस्यों को केवल साख ही उपलब्ध नहीं कराती बल्कि उनके अन्य कार्यों में भी सहायता करती हैं, जैसे– उपज की बिक्री करना, खाद, बीज, यंन्त्र आदि की व्यवस्था करना, उपभोग के लिए आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करना, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, कुटीर एवं ग्राम धन्धों आदि की व्यवस्था और विकास करना। इस तरह ये समितियां ग्रामीण जीवन के समस्त पहलुओं से सम्बन्ध रखती हैं। आजकल सरकार बहुधन्धी सहकारी समितियों की स्थापना पर विशेष जोर दे रही हैं। बहुउद्देशीय समितियां ग्रामीणों के लिए विशेष लाभकारी सिद्ध हुई है।

भारत में सहकारिता का ढाँचा :

(Structure of co-opration in India)

भारत में विभिन्न सहकारी समितियों का ढाँचा तीन स्तरीय या स्तूपकार हैं ये तीन स्तर इस प्रकार हैः गाँव या गाँवों का समूह, जिला स्तर एवं राज्य स्तर। इनकी संख्या ग्राम स्तर पर अधिक जिला स्तर पर उससे कम एवं राज्य स्तर एक होने से इसका आकार स्तूप की तरह होता है।

सहकारी समितियां देश की कृषि एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं। ये विभिन्न आर्थिक गतिविधियों में लगी हुई हैं, जैसे ऋण का वितरण, बीजों, उर्वरकों, कृषि रसायनों का वितरण, भण्डार व्यवस्था, कृषि उत्पादों का वितरण तथा प्रसंस्करण। सहकारी समितियां किसानों को उचित मूल्य पर अच्छी गुणवत्ता वाले कृषि के उपकरण, खाद–बीज आदान–प्रदान करने में सक्षम बनाती हैं और सहकारी समितियों के माध्यम से विपणन की स्थिति में उनके कृषि उत्पादों का लाभकारी मूल्य भी दिलाती हैं। सहकारी कृषि प्रसंस्करण इकाईयां किसानों के दूध, गन्ना, कपास, फल तथा सब्जियों जैसे बहुमूल्य कृषि उत्पादों का अच्छा मूल्य दिलाती है और उन्हें अच्छा लाभ अर्जित करने की सुविधा प्रदान करती हैं।

सहकारिता से व्यक्तियों को लाभ :–

सहकारिता के प्रत्येक क्षेत्र–ऋण, विपणन, परिष्करण आदि में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों को आर्थिक लाभ प्राप्त होता है। सदस्यों को कम ब्याज पर ऋण की सुविधा सुलभ होती है, जबकि विपणन के क्षेत्र में सदस्यों को कम विपणन लागत पर उचित कीमत प्राप्त होती है। सदस्यों को यह लाभ बाजार में प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति के कारण प्राप्त होता है। सहकारिता से समाज में व्याप्त कुरीतियों, जैसे–बाल–विवाह, दहेज प्रथा,

मृत्यु–भोज आदि को समाप्त करने, ग्राम–विकास के लिए जल प्रबन्ध, सम्पर्क मार्ग निर्माण, जल निकासी व स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार लाने के लिए सदस्यों को प्रेरित किया जा सकता है। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण सदस्यों को प्रेरित किया जा सकता है। सहकारिता के माध्यम से ग्रामीण सदस्यों का नैतिक उत्थान होता है। सदस्यों में बचत करने की भावना जाग्रत होती है तथा असामाजिक आदतों जैसे–सट्टा, जुआ, नशा करने की आदत आदि में कमी आती है। सहकारिता में सम्मिलित समान व्यक्तियों को समान दर्जा प्राप्त होता है। जिनसे उनमें भाई–चारे की भावना जाग्रत होती हैं।

भारत में सहकारी आन्दोलन का विकास :–

भारत में सहकारी आन्दोलन का प्रारम्भ मुख्यतया किसानों को महाजनों के शोषण से बचाने के परिप्रेक्ष्य में हुआ। उन्नीसवीं शताब्दी के अन्तिम कुछ वर्षों में भारतीय कृषकों की ऋणग्रस्तता ने विकराल रूप धारण कर लिया था। सन् 1882 में विलियम वेडरबर्न और न्यायमूर्ति महादेव गोविन्द रानाडे ने कृषकों को ऋण से मुक्ति दिलाने के लिए कृषि बैंक स्थापित करने का सुझाव दिया। उनका सुझाव भारत सरकार ने 1883 में भूमि सुधार कानून तथा लगभग 1884 में कृषक ऋण कानून पास किये जिनके अन्तर्गत किसानों को नीची ब्याज दर उत्पाद कार्यों के लिए ऋण उपलब्ध कराया जाने लगा। किसानों की साख की मांग इन कानूनों से पूरी न हो सकी और न ही किसानों में स्वावलम्बन तथा बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहन मिला।

सन् 1892 में मद्रास सरकार द्वारा कृषि व भूमि विकास बैंक स्थापित करने की आवश्यकता पर अपनी राय प्रस्तुत करने के लिए सर फ्रेडरिक निकल्सन को नियुक्त किया गया। उन्होंने अपने विस्तृत वृत्तांत में जर्मनी के रफाइसन समितियों के आधार पर कृषि साख समितियों के गठन का सुझाव दिया। अकाल आयोग, 1901 ने भी अकालों पर प्रतिबन्धनात्मक इलाज के रूप में किसानो को साख उपलब्ध कराने के लिए "पारस्परिक साख संगठन" स्थापित करने का सुझाव दिया।

इस समिति पर राय व्यक्त करने के लिए सरकार द्वारा 'एडवर्ड लौ' की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया। इस समिति ने वर्ष 1901 में सहकारी समितियों की स्थापना का सुझाव दिया एवं इस सम्बन्ध में एक विधेयक तैयार किया गया जो 25 मार्च 1904 को "सहकारी साख समिति कानून" के रूप में पारित किया गया।[1] इस तरह आधुनिक सहकारिता का जन्म भारत में सन् 1904 में हुआ। 1904 में पारित अधिनियम के आधार पर केवल साख समितियां ही बनाई जा सकीं थीं।

भारत में नियोजन काल 1951–52 से आरम्भ किया गया है तभी से सरकार का ध्यान सहकारिता की ओर विशेष रूप से गया है। इस काल में अखिल भारतीय सर्वे समिति का गठन हुआ है इस योजना के अन्त में समितियों की संख्या बढ़कर 2.4 लाख, सदस्य 176 लाख, अंशपूँजी 77 करोड़ रूपये व कार्यशील पूँजी 469 करोड़ रूपये हो गई। प्रथम पंचवर्षीय योजना के बाद लगभग सभी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता के विकास पर पर्याप्त जोर दिया गया है।

भारत में सहकारिता की अच्छी प्रगति हुई है वर्तमान समय में 5.49 लाख सहकारिता समितियां कार्यरत हैं जिनके सदस्यों की संख्या 22.95 करोड़ व कार्यशील पूँजी 3827.496 करोड़ रूपये है।[2] जो इस बात का प्रमाण है कि सहकारिता की जड़ें जम गई हैं और उनसे अच्छे फल निकलने की अच्छी सम्भावनाएं हैं।

जहाँ तक उत्तर–प्रदेश में सहकारिता की बात है, 7479 प्रारम्भिक कृषि ऋण सहकारी समितियों द्वारा

कार्यरत है तथा जिला सहकारी बैंकों की शाखाएं 1331 एवं उत्तर–प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्राम्य विकास बैंकों की 335 शाखाएं भी कृषि तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।[3]

इसी प्रकार अलीगढ़ मण्डल में 306 सहकारी समितियां कार्य कर रही हैं।[4] जो निम्न प्रकार हैं–

मण्डल में सहकारी समितियां (2008–09 के अनुसार)

जनपद	सहकारी समितियां
अलीगढ़	113
एटा	67
म्हामाया नगर	91
कांशीराम नगर	35
योग	306

प्रस्तुत शोध अध्ययन–"कृषि विकास में बैंकों की वित्तीय सहायता की उपयोगिता (अलीगढ़ मण्डल के सन्दर्भ में)" के अन्तर्गत सहकारी समितियों द्वारा अलीगढ़ मण्डल के कृषि क्षेत्रों के लिए विभिन्न जनपदों की प्रदत्त कृषि शाख इस प्रकार है–

जनपद अलीगढ़ (000, रू0 में)

वर्ष	वितरित ऋण
2004–05	407530
2005–06	130412
2006–07	90170
2007–08	96811
2008–09	203585

स्रोतः जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2009

जनपद एटा (000, रू0 में)

वर्ष	वितरित ऋण
2004–05	294886
2005–06	279760
2006–07	284434
2007–08	299734
2008–09	128188

स्रोतः जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2009

जनपद महामाया नगर (000, रू0 में)

वर्ष	वितरित ऋण
2004–05	187869
2005–06	195876
2006–07	195962
2007–08	197193
2008–09	186332

स्रोतः जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2009

जनपद कांशीराम नगर (000, रू0 में)

वर्ष	वितरित ऋण
2008–09	112534

स्रोतः जिला सांख्यिकीय पत्रिका 2009

प्रतिचयित ग्रामीण कृषकों से यह जानने का प्रयास किया गया कि क्या वे सहकारी समिति के सदस्य हैं अथवा नहीं इस सन्दर्भ में ज्ञात तथ्य निम्न तालिका में दृष्टव्य हैं–

तालिका संख्या 01

सहकारी समिति की सदस्यता

तथ्य	अलीगढ़	एटा	महामाया नगर	कांशीराम नगर	अलीगढ़ मण्डल	प्रतिशत
सहकारी समिति के सदस्य हैं	13	09	08	05	35	11.67
सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं	107	55	50	53	265	88.33
योग	120	64	58	58	300	100.00

तालिका से स्पष्ट है कि 11.67 प्रतिशत ग्रामीण कृषक सहकारी समिति के सदस्य हैं तथा 88.33 प्रतिशत कृषक सहकारी समिति के सदस्य नहीं हैं।

निष्कर्षतः कहा जा सकता है कि बहुत कम कृषक (11.67 प्रतिशत) ही सहकारी समिति के सदस्य हैं। जो कृषक सहकारी समिति के सदस्य हैं उनसे यह जानने का प्रयास किया गया कि सहकारी समिति से उनको क्या–क्या सुविधाएं प्राप्त होती हैं? इस सन्दर्भ में संकलित तथ्यों को तालिका में प्रदर्शित किया गया है–

तालिका संख्या 02

सहकारी समिति से प्राप्त सुविधाएं

तथ्य	अलीगढ़	एटा	महामाया नगर	कांशीराम नगर	अलीगढ़ मण्डल	प्रतिशत
खाद–बीज	13	09	08	05	35	100.00
कृषि ऋण	05	07	03	04	19	54.29
कृषि उपज का विपणन	10	05	06	07	28	80.00
मेले एवं प्रदर्शनी	08	05	04	05	22	62.86

टिप्पणी: खुला प्रश्न होने के कारण प्रत्येक श्रेणी की आवृत्ति 100 में से निर्धारित है।

तालिका से स्पष्ट है कि 11.67 प्रतिशत व्यक्ति जो सहकारी समितियों के सदस्य हैं उनमें से शत–प्रतिशत ने बताया कि समितियों से खाद–बीज प्राप्त होता है। 54.29 प्रतिशत व्यक्ति कृषि ऋणों की प्राप्ति के बारे में बताते हैं 80 प्रतिशत कृषक बताते हैं कि कृषि उपज का विक्रय समितियों के माध्यम से होता है। साथ ही 62.86 प्रतिशत कृषक समितियों के द्वारा मेले एवं प्रदर्शनियों के आयोजन की बात कहते हैं।

निष्कर्षत: कहा जा सकता है कि शत–प्रतिशत कृषक व्यक्ति सहकारी समितियों के माध्यम से खाद–बीज प्राप्त करते हैं साथ ही उन्हें कृषि ऋण एवं कृषि उपज के विक्रय आदि की सुविधा भी प्राप्त होती है।

आत्मनिर्भर सहकारी समितियां :

सहकारिता से तात्पर्य परस्पर सहयोग से मिलजुल कर कार्य करना है जिसका आर्थिक विकास से गहरा सम्बन्ध है। सहकारिता के माध्यम से आर्थिक निर्माण के क्षेत्र में सामाजिक हित, न्यायपूर्ण विचार एवं सामाजिक बन्धुत्व को ध्यान में रखा जाता है। कृषि प्रधान देशों की आर्थिक प्रगति में सहकारिता के अतिरिक्त अन्य कोई साधन नहीं है, जो कृषि अर्थव्यवस्था को मजबूत कर सके। सहकारिता केवल उत्पादन, उपभोग, विनिमय व वितरण तक सीमित नहीं है, बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्र में कृषि उत्पादन एवं रोजगार के विकास में सहायक हैं अर्थात सहकारिता ऐसी व्यवस्था है जो आर्थिक विकास को गति प्रदान करती है। आर्थिक विकास के बहुत से साधन सहकारिता के माध्यम से सम्भव हो सकते हैं।

जहां तक आत्मनिर्भर सहकारी समितियों का सम्बन्ध है व्यक्तियों का एक समूह होता है जो स्वयं आपसी सहयोग एवं निःस्वार्थ भावना से बनाया जाता है, सदस्यों के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्धारण भी किया जाता है। समूह अपनी उन्नति के लिए अपनी शक्तियों एवं साधनों का उपयोग करते हुए प्रजातांत्रिक आधार पर कार्य करते हैं। आत्मनिर्भर सहकारी समितियों की पूँजी स्वयं के एकत्रित कोष से इकट्ठा की जाती है। यह समितियां अन्य किसी संस्था पर निर्भर नहीं रहती हैं। इनके ऋण वितरण एवं वसूली की नीतियां आदि भी स्वयं के द्वारा निर्मित एवं संचालित होती हैं। यह स्वच्छन्द प्रक्रिया के रूप में कार्य करती हैं। सदस्यों के आर्थिक

सामाजिक विकास हेतु कभी–कभी ये समितियां बैंक आदि से भी ऋण प्राप्त करती हैं।

सहकारी समितियों की तरह ही आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के द्वारा निर्धन ग्रामीण को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने तथा ग्रामीण को चहुंमुखी विकास प्रदान करने का प्रयत्न किया जाता है। आत्मनिर्भर सहकारी समितियों के द्वारा ग्रामीण अंचल के निर्धनों को स्वावलम्बी एवं आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास किया जाता है। इसका उद्देश्य उन्नत खेती, उन्नत व्यापार, उन्नत जीवन बनाना है। आत्मनिर्भर सहकारी समितियां गाँवों का सर्वांगीण विकास, न्यूनतम अभावों का अन्त, आर्थिक विकास, उत्पादन एवं रोजगार वृद्धि तथा गाँवों के अन्तिम व्यक्ति के विकास से जुड़ी समस्याओं का निदान करने में महत्वपूर्ण योगदान निभा रही हैं।

सन्दर्भ ग्रन्थ :

1. जे.सी. पन्त व एम.जी. जैन : अर्थशास्त्र, साहित्य भवन पब्लिकेशन आगरा, पृष्ठ –471.
2. भारतीय अर्थव्यवस्था : साहित्य भवन आगरा, पृष्ठ –5
3. उ. प्र. एक अध्ययन : साहित्य भवन आगरा पृष्ठ –28
4. समाज आर्थिकी पत्रिका मण्डल अलीगढ़ पृष्ठ –28

International Research Journal of Humanities and Interdisciplinary Studies
IRJHIS